

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राजीनामा पढ़कर (मुनाय) गया जिसे मुन क
समक्ष कर उपस्थित पक्षकारान इवार लही
होना स्वीकार किया गया। अतः हलबदवा
द्विषा पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्व नियत
दिनांक 08/09/2020 को पेश हो।

02-09-2020

पत्रावली पेश हुई। पञ्चलाय इमप पक्ष
उपलवहील वादीगण ने एड प्रार्थना पर प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित पक्षकारान
के मध्य राजीनामा होकर माननीय न्यायालय एजा
इवार तस्दीक किया जा चुका है। प्रतिवादी सं० ५
व ५ के विरुद्ध वादीगण कोई अनुमोष नहीं चाहते
हैं। अतः प्रा पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं० ५ व ५
के विरुद्ध दावा खिड़ा किये जाने की अनुमति
प्रदान करें। वकील वादीगण का प्रार्थना - पर न्याय
हिन में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं० ५ व ५
के विरुद्ध दावा खिड़ा किये जाने की अनुमति
प्रदान की जाती है। प्रतिवादी सं० ६ के तामील
सम्पत्त रूप से होकर लौटी है। सम्पत्त सम्पत्त
तामील प्रतिवादी सं० ६ की ओर से कोई एजिर
प्रदान नहीं आया। अतः प्रतिवादी सं० ६ के
विरुद्ध के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
जाती है। वकील वादीगण ने मुख्य परीक्षण बाबत
PW-1 (नारायण पुत्र हनुमान), PW-2 (रामलाल
पुत्र नाथराम) एवं PW-3 (जगदीश प्रसाद पुत्र
गंगाराम) के शपथ-पत्र पेश किये जो शामिल
पत्रावली किये गये। वारने बहस पत्रावली
दिनांक 07-09-2020 को पेश हो।

07-09-2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय
उभय पक्ष उपरोक्त प्रकरण में बहस वकुलाय
उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय
उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिफ्री
फरमाना जाने का निवेदन किया। वान्ने आदेश
पत्रावली दिनांक 10-09-2020 को पेश हो।

10-09-2020

पत्रावली वान्ने आदेश आज पेश
हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपरोक्त प्रकरण में बहस
पकील पादी-प्रतिवादी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं।
वरवक्त बहस वकुलाय उभय पक्ष ने मुताबिक
राजीनामा दावा डिफ्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रेकार्ड, राजीनामा एवं मुख्य फरीक्षण
बाबत पेश किये गये शपथ-पत्रों का अपलोड
किया गया। फुंकि वादीगण एवं प्रतिवादी के। ता 3
ने विवादित आराजी ख. नं० 3956, 3955, 3957
3959 तन ग्राम दायरा के सम्बन्ध में आपसी
सहमति से राजीनामा पेश कर न्यायालय हाजा
द्वारा तस्दीक करवा लिया है। ऐसी स्थिति में पक्ष-
कारान के मध्य कोई विवाद विद्यमान नहीं रह गण
है। अतः वाद, वादीगण मुताबिक राजीनामा डिफ्री
किया जात है। राजीनामा डिफ्री का भाग रहेगा।
मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमल इरासद
हो तदनुसार पचा डिफ्री मुताबिक हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमिल दाखिल इफतर हो। निर्यात आज दिनांक
10-09-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी RAS

उपखण्ड अधिकारी

खण्ड (सीडर)

डिक्री मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम खण्डेला (सीकर)

श्री राकेश कुमार RAS

रखाल ताराचन्द बनाम ① कादूराम ② सुरेश कुमार

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 88 सन् 2020

कदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार RAS

श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्ना छिनिजानिब मुद्दई रूबरू श्री नवनीत प्रकाश शर्मा छ

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डियरी दी जाती है कि

दीगण मुलाबिक राजीनाम डिक्री किया जाना है। राजीनाम का भाग रहेगा। मुलाबिक राजीनाम राजस्व रेकार्ड फल परामद हो।

मुबलिय

बाबत

दमें के मय सूद वशरह

कीसती जानना आज की तारीख से

गी तक

का अदा करे।

10

09

2020

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

बात

सन्

की



दस्तखत

(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

आह्वय

खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
दावा नामा			स्टाम्प अर्जी		
सबूत			महन्नाना वकील		
गैल			खर्चा गवाहान		
न			फीस कमिश्नर		
र			बाबत इजराय हुकमनामा		
व हुकमनामा			मुताफरिक		
मीजान			मीजान		

के कार्य पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डियरी के जरिये दिखाया यह हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

× ③ बाबूलाल पुत्रगण हनुमान प्रसाद
④ रामस्वरूप ⑤ गोपाल ⑥ पूरणमल
पुत्रगण नारायण

⑦ दीनदयाल ⑧ विनोद पुत्रगण - चतुरराम
समस्त जाति कुमावत निवासी दायरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर (राज)

बनाम

-(पादीगण)

× ③ शंकरलाल पुत्रगण रामेश्वर लाल जाति कुमावत नि
④ पटवारी, पटवार तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज)
⑤ उपपंजीयक खण्डेला
⑥ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला



राजेश कुमार
(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)